राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छत्तीसगढ़

एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र.3049/मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2021 रायपुर, दिनांक 01/03/2021

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर।

विषय :– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले द्वारा प्रशासनिक मद में हुए व्यय के संबंध में ।

——00——

विषयांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ए.आई.पी. 2020–21 अनुसार कुल राशि रू.62136.36 लाख का बजट भारत सरकार से अनुमोदित है । **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस–2 के दिशा–निर्देश के पृष्ठ क्र. 51 कंडिका 15.1 पर प्रशासनिक व्यय हेतु "कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल वित्त पोषण का 1 प्रतिशत तक"की राशि व्यय की जा सकती है ।** दिशा–निर्देशा के अनुसार राज्य स्तर पर प्रशासनिक मद की राशि से राज्य मिशन कार्यालय के अमले के वेतन आदि का भुगतान होता है । तदनुसार जिला स्तर पर अधिकतम 0.8 प्रतिशत राशि ही प्रशासनिक मद में व्यय की जा सकती है ।

2/ जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 1 अप्रैल 2020 से 20 फरवरी 2021 तक जिलों द्वारा व्यय राशि एवं माह जनवरी एवं फरवरी 2020–21 में जिलों को वर्ल्ड बैंक एवं इ.बी.आर. के जारी आबंटन के योग की कुल राशि का 0.8 प्रतिशत प्रशासनिक मद हेतु आकलन किया गया है, जो **परिशिष्ट–"अ"** के कॉलम नं. 7 एवं 8 में उल्लेखित है । उक्त जानकारी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश जिलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रशासनिक मद हेतु अधिकतम प्रावधान से अधिक व्यय किया जा चुका है।

3/ यह स्पष्ट नही है कि जिलों द्वारा प्रशासनिक मद की अधिकतम अनुमानित राशि से भी अधिक राशि का व्यय किस प्रावधान के तहत किया गया है । वर्तमान स्थिति में वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अमले को मार्च 2021 तक वेतन प्रदान करने में समस्या हो रही है । अतः जिलों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत किराये से लिये गये वाहनों एवं अन्य प्रकार के अपव्यय को तत्काल बंद किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

4/ भारत सरकार को प्रशासनिक मद के अंतर्गत प्रावधानित प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने अथवा आई.ई.सी. मद में वेतन भत्ता आदि समायोजित करने हेतु पृथक से पत्र भेजा जाना प्रस्तावित है ।

Scanned with CamScanner

5/ अतः कृपया उपरोक्त संबंध में जिलों को पत्र के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस–2 के दिशा–निर्देश को कडाई से पालन करने एवं भविष्य में प्रशासनिक मद एवं आई.ई.सी मद में अधिकतम सीमा से अधिक व्यय न करने हेतु निर्देशित करने कष्ट करें ।

भारत सरकार को भेजे जाने वाले पत्र एवं जिलों को भेजे जाने वाले पत्रों के प्रारूप संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

(इफ्फत आरा)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर,छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner